(लचीला) सुपरिवर्तनशील संविधान - Flexible Constitution
(कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान - Rigid Constitution

* परिचय - लचीले
* कठोर एवं लचीले संविधान में अन्तर
* लचीले संविधान के गुण - दोष
* परिचय - कठोर
* कठोर संविधान के गुण - दोष
* निष्कर्ष

लचीला संविधान : यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अन्तर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके, तो संविधान को लचीला या सुपरिवर्तनशील कहा जायेगा। डा० गार्नर के शब्दों में, "लचीला संविधान वह है जिसको साधारण कानून से अधिक शक्ति एवं सत्ता नहीं है और जो साधारण कानून की भांति ही बदला जा सकता है, चाहे वह प्रलेखन परम्पराओं के रूप में हो।" इंग्लैण्ड में संसद जिस प्रक्रिया द्वारा सड़क पर चलने के नियमों या मद्य-निषेध के नियमों में परिवर्तन करती है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून में परिवर्तन कर सकती है। इसी कारण इंग्लैण्ड के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है।

कठोर संविधान : ये वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक व साधारण कानून में मौलिक भेद रखा जाता है जिसमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन प्रक्रिया साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न या कठोर होती है। गार्नर के शब्दों में, "जो भिन्न स्रोत से उत्पन्न होता है और पद में साधारण कानून से कैंप कुछ से कहीं ऊँचा है। इसका संशोधन भी किसी भिन्न तरीके से होता है।" उदाहरणार्थ USA का संविधान। USA कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए अमरीकी कांग्रेस के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ तीन चौथाई इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारतीय संविधान भी कठोर संविधान का उदाहरण है।

कठोर एवं लचीले संविधान में अन्तर : कठोर एवं लचीले संविधान में निम्न अन्तर हैं :-

(1) **संशोधन पद्धति में अन्तर** : लचीले संविधानों में व्यवस्थापिका को संविधान संशोधन का अधिकार होता है और सामान्य कानून पद्धति द्वारा ही संविधान में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कठोर संविधानों में संवैधानिक संशोधन का अधिकार उच्चतर संस्था को प्राप्त होता है या संसद सामान्य कानून प्रक्रिया से भिन्न विशेष पद्धति द्वारा संशोधन कर सकती है।

(ii) संविधान प्रायः लिखित होते हैं। इसकी और संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है। मूल्यों और आस्थाओं का यह विकास परम्पराओं, संस्थाओं और व्यवहार संबंधी तत्वों में विश्वास के कारण होता रहता है।

(iii) प्रायः हर समाज का एक लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था ही संविधानवाद है। संविधान साधनयुक्त आदर्श हैं जबकि संविधानवाद साध्ययुक्त।

(iv) संविधानवाद अनेक देशों में एक जैसा हो सकता है। संस्कृति, मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श एक जैसे हो सकते हैं। संविधान-वाद की समानता के बावजूद हर देश का संविधान अलग-अलग होता है।

(v) संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है जबकि संविधानवाद के आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा पर होता है।

संविधानवाद के ~~...~~ विशेषताएं

(~~Element~~ Characteristics of constitutionalism)

संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(1) संविधानवाद मूल्य सम्बद्ध अवधारणा है: संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं।

(2) संविधानवाद संस्कृति सम्बद्ध अवधारणा है: संविधानवाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से संबद्ध पायी जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य व विचारधारायें उस देश की संस्कृति की ही अंग होते हैं।

(3) संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है: संविधानवाद की विशेषता यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही साथ गत्यात्मकता भी पायी जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं, प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है।

(4) संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है: संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किन्तु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद मूलतः लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य-प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज-साध्य के रूप में स्वीकार करता है।

(5) संविधानवाद संविधान पर आधारित: सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों और लक्ष्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है।

संविधानवाद और ब्रिटेन
(Constitutionalism and Britain)

ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया वरन राजनीतिक चेतना की वृद्धि से धीरे-धीरे इसका विकास हुआ। ब्रिटिश संविधान का धीरे-धीरे अबाध गति से विकास हुआ है। इसकी जड़े अतीत पुराने इतिहास में जमी हुई हैं। उसके विकास की गाथा रही है कि निरंकुश राजतंत्र को शान्तिपूर्ण ढंग से संवैधानिक राजतंत्र के रूप में रूपान्तरित कर दिया गया है। ऑग तथा विक ने लिखा है कि "इंग्लैण्ड की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रस्थान-बिन्दु राष्ट्रीय इतिहास उस राजमार्ग पर निर्भर हुए हैं जो अंगकाल से 1300 या 1400 वर्ष तक की लम्बाई में फैला हुआ है।" शान्तिपूर्ण विकास ब्रिटिश संविधान की एक अनूठी विशेषता है। इसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुए हैं बल्कि उसका वर्तमान स्वरूप भूत की नींव पर रखा हुआ है।

ब्रिटिश संविधान विभिन्न कालों का परिणाम रहा है - ऐंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन काल, प्लैंटाजिनेट वंशों का काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल। सभी कालों क्रमिक रूप से संविधान का विकास हुआ। राजपद का प्रादुर्भाव, स्थानीय स्वशासन, मैग्नाकार्टा, संसद का उदय, उत्तराधिकार अधिनियम और राजनीतिक दलों का उदय आदि संविधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

संविधानवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका

अमरीकी संविधान के विकास पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जीवन की परम्पराओं तथा आर्थिक, राजनीतिक तत्वों का गंभीर प्रभाव पड़ा है। विदेशी आक्रमणों से अमरीकी सदा सुरक्षित रहा, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता से आर्थिक समृद्धि आयी तथा विकास जनजातियों के कारण स्वाधीनता की दृष्टि से देश आत्म निर्भर बन गया। इससे राजनीतिक स्थिरता आयी और शासन विधान का अबाध गति से विकास होता गया। ब्रेस तथा पेलटासन ने लिखा है, "हमारी जनि सरकार पिछली शताब्दियों के विभिन्न प्रयोगों का परिणाम है जो मानव के वैभव एवं उसके विकास में विश्वास करती है।"

सन् 1492 में कोलम्बस ने अमरीका के पश्चिमी तट का अन्वेषण किया। उन दिनों वहाँ भारतीय आदिम-जातियों का निवास था। इंग्लैण्ड व यूरोप के देशों से लोग वहाँ आकर बसने लगे और अलग-अलग उपनिवेशों का निर्माण करने लगे। सन् 1690 में अमरीका की जनसंख्या 2½ लाख से बढ़कर सन् 1775 में 25 लाख हो गई।

अमरीका में एक नयी वर्णसंकर संस्कृति का उदय हुआ। अमरीका कई संस्कृतियों का संगम-स्थल बन गया।

यूरोप के विभिन्न देशों के लोग अपने साथ अपनी-अपनी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति तथा परम्परा भी ले गये जिससे इंग्लैण्ड और यूरोप की संस्कृति का मेल हुआ

ये अनिवेश अधिकार-पत्र प्राप्त कम्पनियों द्वारा बसाये गये थे। ये ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे। वे ब्रिटिश की विधियों के प्रतिकूल विधि निर्माण नहीं कर सकते थे। प्रत्येक गवर्नर को शपथ लेना था, जिसे सम्राट स्वीकृति प्रदान करता था

उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए फिलाडेल्फिया में नगर में सम्मेलन हुआ जिसे प्रथम महाद्वीपीय काँग्रेस कहा जाता है। 1775 में दूसरी महाद्वीपीय काँग्रेस में इंग्लैण्ड के खिलाफ युद्ध का प्रस्ताव पेश किया तथा वाशिंगटन को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया गया। जार्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई और 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई

नवम्बर 1777 में महाद्वीपीय कांग्रेस ने राज्यमंडल की निर्माण संबंधी धाराओं को स्वीकार कर लिया और उसके बाद राज्यों ने भी उसकी पुष्टि कर दी। इस प्रकार अमरीका के संयुक्त राज्यों के प्रथम लिखित संविधान का निर्माण हुआ। आज भी अमरीका में राज्यों की संख्या 13 से बढ़कर 50 हो गई है।

संविधानवाद और ~~की~~ स्विट्ज़रलैण्ड

वर्तमान में स्विट्ज़रलैण्ड के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्ज़रलैण्ड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ 1291 से हुआ जब कि उरी, श्वेज और अण्डरवाल्डन द्वारा आत्मरक्षा हेतु एक एकमंजन (League) की स्थापना की गई। इसके पूर्व स्विट्ज़रलैण्ड के क्षेत्र में अलग-अलग कैण्टन थे और उनके बीच कोई एकीकृत सत्ता नहीं थी। इसके पूर्व ये कैण्टन आस्ट्रिया के शासकों के अधीन था। 1291 में तीन कैण्टनों ने हेप्सबर्ग शासक से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक राज्यमंडल की स्थापना की। हेप्सबर्ग शासक ने तीन कैण्टनों को जीतने का प्रयत्न किया लेकिन कैण्टन भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहे। इससे प्रोत्साहित होकर अन्य कैण्टन भी राज्यमंडल की ओर प्रवृत्त हुए और 1353 में तक राज्यमंडल में 8 कैण्टन शामिल हो गये। 1648 तक इस राज्यमंडल में 13 कैण्टन शामिल हो गये जो सभी जर्मन भाषी थे। राज्यमंडल के सदस्यता में भी निरन्तर वृद्धि हुई और 1648 की वेस्टफेलिया की संधि में इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

निष्कर्ष (संविधानवाद का भविष्य): संविधानवाद के विकास में अनेक उतार चढ़ाव आये है। प्रथम विश्वयुद्ध के तुरन्त बाद राजनीतिक संविधानवाद का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता था। किन्तु इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद के उदय ने हमारी आशा को धूमिल कर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद साम्यवाद और सैनिकवाद का जिस गति से एशिया और अफ्रीका में प्रसार हुआ उससे संविधानवाद का भविष्य गहरे खतरे से ढका प्रतीत हो रहा है।

— १ —